बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक :–2/नि०–04/16 958(2) **/स्वा०,** विज्ञापन संख्या–02/2014 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित निम्नांकित विशेषज्ञ चिकित्सकों को चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक) (मूल कोटि) के पद पर रू०–9300–34800/– (पी०बी०–2) एवं ग्रेड पे०–5400 के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख संस्थान में पदस्थापित किया जाता है :–

मूर्च्छक

क्रं०सं०	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	गृह जिला	कोटि	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	200042	डा० मनीषा	05.06.1984	डा० मनीषा, द्वारा–प्रो० निर्मल कुमार, क्वार्टर न० ए/20, एम0आई0टी0 कैम्पस, एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर–842003	मुजफ्फरपुर	सामान्य	सदर अस्पताल, भागलपुर
2	200011	डा० सौरभ कुमार	07.05.1983	डा० सौरभ कुमार, पिता– एम0पी0 चौधरी, मॉडेल कॉलोनी, एम0डी0डी0एम0 कॉलेज के उत्तर, रमना, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर–842002	मुजफ्फरपुर	सामान्य	सदर अस्पताल, छपरा, सारण।

2. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि उनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

3. दो वर्षो के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। इस अवधि में आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त चिकित्सकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–7834(2) दिनांक 22.11.1995 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षो की सेवा पूरी होने तक अथवा पैतालीस वर्षो की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षो के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उतरदायी होगें।

6. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित संस्थान में अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान करेंगे।

7. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण–पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण–पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. सभी नियुक्त चिकित्सक राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लेगें।

9. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से यदि कोई बिहार राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए संविदा पर कार्यरत हैं तो उन्हें उसी संस्थान में नियुक्त करते हुए टेन्योर अवधि तक के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देगें।

10. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से कतिपय चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर तीन वर्षो के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देगें।

11. सभी नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।

12. यदि कोई चिकित्सक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो वे पदस्थापित संस्थान में योगदान देगें और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेगें। अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त वे पदस्थापित स्थान पर पुनः अपना योगदान देगें।

13. उपरोक्त सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली–1977 की कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे एवं सम्पति का ब्यौरा भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया जा सकता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2785 दिनांक 27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

14. जिन चिकित्सकों द्वारा जाँच के समय विभागीय अधिकृत समिति के समक्ष आवासीय प्रमाण–पत्र एवं कोई अन्य प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया हों, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण–पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।

15. उक्त चिकित्सकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 लागू रहेगा जिसके तहत वे प्राईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक भत्ता की माँग नहीं करेंगे।

16. नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नियुक्त चिकित्सकों के सभी प्रमाण–पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

17. आवंटित संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18. सभी नियुक्त चिकित्सक अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

958 (2)
29/6/16

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–2/नि०–04/16 958(2) पटना, दिनांक :– 29/6/16

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट–www.health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/16

सरकार के संयुक्त सचिव।